परिशिष्ट का प्रपत्र –

[8/7/2024]

म.प्र. विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक – 888 बैठक दिनांक 08.07.2024, सदस्य –श्री डॉ0 सीतासरन शर्मा

प्रश्न सं. [क्र. 888]

जॉच प्रतिवेदन

श्रीमान उप आयुक्त सहकारिता जिला नर्मदापुरम के आदेशानुसार आदेश कमांक/शिकायत/2024/247 नर्मदापुरम दिनांक 12.02.2024 के परिपालन में महाराजा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.इटारसी पंजीयन कमांक 2740 दिनांक 22.10.2001 की शिकायत की जॉच एवं उक्त के संबंध में विधानसभा सत्र फरवरी 2024 में प्रश्न कमांक 583 पूछा गया है,उक्त शिकायत की जॉच गठित जॉच दल के द्वारा उपलब्ध हुए अभिलेख के आधार पर कर जॉच प्रतिवेदन एवं अभिमत निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

01. जॉच दल गठित किये जाने के उपरांत जॉच दल द्वारा दिनांक 18.02.2024 को पत्र कमांक/2024/क्यू/1 दिनांक 1.02.2024 से 51 प्रवृत्तक सदस्यों की सूची संलग्न कर संस्था प्रशासक/प्रबंधक के माध्यम से संस्था के सभी प्रर्वतक सदस्यों को सदस्यता के संबंध में अपना कथन/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 25.02.2024 दिन रविवार को प्रातः 11:00 बजे विपणन सहकारी समिति इटारसी के कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पत्र जारी किये गये। (संलग्न प्रदर्श 01)

02. उप आयुक्त सहकारिता जिला नर्मदापुरम द्वारा पत्र कमांक/शिकायत/2024/290 नर्मदापुरम दिनांक 21.02.2024 को आयुक्त जनसंपर्क संचनालय बाणगंगा रोड भोपाल को पत्र प्रेषित कर जॉच की नियत दिनांक पर प्रवृत्तक सदस्यों को कथन दर्ज कराने हेतु उपस्थित होने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु पत्र प्रेषित किया है उपरान्त उपरोक्त पत्रानुसार 04 समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित हुई जिनकी छायाप्रतिया संलग्न प्रस्तुत है। (संलग्न प्रदर्श 02)

03. जांच दल द्वारा जारी किया गया पत्र एवं समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त जॉच की नियत दिनांक 25.02.2024 को निम्नलिखित सदस्यों द्वारा उपस्थित होकर अपने लिखित कथन प्रस्तुत किये गये जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1 श्री पंकज बागड़ ने नियत समय पर उपस्थित होकर अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया गया । जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि संस्था के विषय में उन्हें कुछ मालूम नही है तथा वे कोई भी सोसायटी के सदस्य नही है एवं न ही उनके साइन है। (कथन सलग्न प्रदर्श 03)

2. श्री मोहन प्रसाद द्विवेदी द्वारा नियत समय पर उपस्थित होकर अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा कथन में उल्लेख किया गया कि वे महराजा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार के सदस्य नही है,उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नही है उन्होनें कोई फार्म नही भरा है तथा कोई साइन नही किये है। (कथन संलग्न प्रदर्श 04)

3. श्रीमति विमला बांगड़ पति रामगोपाल बांगड़ द्वारा नियत समय पर अपना कथन पुत्र के माध्यन से प्रस्तुत कराया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि वे सोसायटी के सदस्य नही है न ही उन्हे कुछ मालूम है,हमें बार बार परेशान न करे का प्रस्तुत कथन में उल्लेख किया गया है। (कथन संलग्न प्रदर्श 05)

4. श्री निशांत जैन पति श्रीज्ञानचंद जैन द्वारा नियत समय पर उपस्थित होकर अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि केलू ने राशन कार्ड मांगा था,उन्हें यह नही बताया कि सोसायटी बना रहे है, फर्जी साइन उनके द्वारा खुद ही बना लिये है, उनके द्वारा साईन नही किये गये है। (संलग्न प्रदर्श 06)

5. श्री राकेश सिंह राठौर निवासी सूरजगंज इटारसी द्वारा उपस्थित होकर अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि उन्है इस बात की जानकारी नही है कि वे राशन दुकान के मेम्बर है,उन्होने राशन कार्ड इसलिए दिया था कि श्री पीयूष उपाध्याय राशन दुकान संचालित करता है एवं वह मेरे पड़ोस में रहता है, उन्होनें किसी कागज पर हस्ताक्षर नही किये गये है। (सलंग्न प्रदर्श 07)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

उप आयुक्त
सहकारिता, मध्यप्रदेश

T. C.

उप आयुक्त
सहकारिता नर्मदापुरम

श्री निर्मल सिंह तोमर पिता सुप्यार सिंह तोमर निवासी सूरजगंज इटारसी द्वारा नियत समय पर उपस्थित होकर अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया कि महाराजा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इटारसी के सदस्य नही रहा हूँ न ही उनके द्वारा कोई पेपर दिये है, न ही उन्हें कोई इस बारे में जानकारी है न ही उनके द्वारा कोई पेपर पर हस्ताक्षर किये। (संलग्न प्रदर्श 08)

7. श्री पीयूष उपाध्याय पिता स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश उपाध्याय (भण्डार के पंजीयन के समय प्रस्तावित अध्यक्ष) द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया कि वे महाराजा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार इटारसी के गठन के समय हस्ताक्षर उनके स्वयं के द्वारा किये गये हैं, भण्डार के गठन के समय संस्था के सदस्य राकेशसिंह पिता रामनाथ सिंह एवं राजेशसिंह पिता रामनाथसिंह द्वारा भी सदस्यों के फार्म भरवाये गये थे,अनेक सदस्यों के सम्पूर्ण दस्तावेज उनके द्वारा एकत्रित किये गये थे जिससे महाराजा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार इटारसी का विधिवत गठन किया गया था।(प्रदर्श 09)

04. श्री अमोल उपाध्याय (पंजीयन/गठन के समय प्रस्तावित अध्यक्ष के भाई) द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट से लिखित कथन प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लैख किया गया कि वर्ष 2001 में गठित हुए सहकारिताअधिनिमय के अंतर्गत महाराजा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित इटारसी के वह सदस्य है,गठन की प्रकिया के दौरान उनके नाम के सामने किये गये हस्ताक्षर उनके द्वारा स्वयं के द्वारा किये गय है, कथन में उल्लेख किया गया कि गठन की विधिवित प्रकिया के दौरान स्व.रामनाथ राठौर निवासी वार्ड नम्बर 13 इटारसी के निवासी अनेकों लोगों को विधिवत सदस्यता दिलाने हेतु दस्तावेजों सहित प्रकिया के दौरान बुलाया गया था, स्व.श्री रामनाथ राठौर द्वारा अपने परिवार की ही एक सदस्या श्रीमति मधु पत्नि राकेश सिंह को संचालक मण्डल में विधिवत सम्मिलित करवाया गया था। (संलग्न प्रदर्श 10)

05. श्री राजकुमार उपाध्याय भण्डार के प्रवृत्तक सदस्य एवं पंजीयन के समय प्रस्तावित अध्यक्ष श्री पियूष उपाध्याय के बडे भाई द्वारा पंजीकृत डाक से अपना लिखित कथन प्रेषित किया गया, कथन में उनके द्वारा उल्लैख किया गया है कि वर्ष 2001 में म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम व प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इटारसी की आदर्श उपविधि के अंतर्गत विधिवत गठित हुये भण्डार के सदस्य है तथा भण्डार के गठन एवं निर्वाचन प्रकिया के दौरान उनके द्वारा स्वंय उपस्थित होकर हस्ताक्षर किये गये है तथा लेख किया है कि वर्ष 2001 में महाराजा उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इटारसी के गठन कि विधिवत सम्पूर्ण प्रकिया के समय उनके वार्ड में निवासी व पडौसी स्व.रामनाथ राठौर, श्री राकेश सिंह राठौर श्री राजेश राठौर द्वारा उनके परिवार के सदस्यों में जिनमें श्रीमति मधु पत्नि श्री राकेश सिंह व वार्ड के निवासी अनेक व्यक्तियों को भी उक्त भण्डार की गठन/निर्वाचन प्रकिया के दौरान विधिवत सदस्यता दिलवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज सहित बुलाया गया था, वर्ष 2001 में उन्हें भण्डार की आदर्श उपविधि व भण्डार के अधिनियम के अनुसार सदस्यता प्रदान की गई है, वर्ष 2001 में महाराज प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इटारसी के गठन/निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रकिया विधिवत सहकारिता विभाग द्वारा कराई गई थी। (संलग्न प्रदर्श 11)

06. भण्डार में पदस्थ वर्तमान विकेता श्री रोहित भदौरिया द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि वह विकेता के पद पर वर्तमान में पदस्थ है। 51 सदस्यों के सूचना पत्र तामिली हेतु उन्हें दिये गये थे, उनके द्वारा 02 सदस्यों के निवास पर जाकर सूचना दी गई,11 सदस्यों द्वारा पावती देने से इंकार कर दिया गया एंव कहा गया कि उनके थाने में बयान हो चुके है। बाकी सदस्यों के पास व्यक्तिगत नही जा सके तथा सस्था में पर्याप्त राशि नही होने के कारण शेष सदस्यो कों सूचना नही भेजने के संबधं में लेख प्रस्तुत पत्र में किया गया है। (संलग्न प्रदर्श 12)

T. C.

उप आयुक्त
सहकारिता नर्मदापुरम

Scanned with CamScanner

अभिमतः—

महाराजा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित ईटारसी, पंजीयन कमांक 2740 दिनांक 22.10.2001 कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला नर्मदापुरम से पंजीकृत सहकारिता उपभोक्ता भण्डार है। उप आयुक्त सहकारिता जिला नर्मदापुरम के आदेश के पालन में गठित जांच दल द्वारा नियत दिनांक 25.02.2024 को पंजीकृत भण्डार के सदस्यों की सदस्यता की जांच की गई, नियत दिनांक को सदस्यता संबंधी जांच के दौरान उपस्थित हुए सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये कथन के आधार पर जांच दल का अभिमत यह है कि उपस्थित हुए अधिकांश सदस्यों द्वारा यह लेख किया गया है कि उनके द्वारा भण्डार के पंजीयन के समय प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किये गये है जो पंजीयन के समय प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को संदेह की स्थिति को दर्शाता है, जिसके लिए तत्कालीन (प्रस्तावित) अध्यक्ष श्री पीयूष उपाध्याय उत्तरदायी है। अतः मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत।

(आर.के. मेहरा)	(जी.डी. पाल)	(आर.बी.रघुवंशी)	(दिनेश भालेकर)
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	उप अंकेक्षक	उप अंकेक्षक	उप अंकेक्षक
सहकारिता विभाग	सहकारिता विभाग	सहकारिता विभाग	सहकारिता विभाग
नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम
आर.के. मेहरा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता विभाग जिला –नर्मदापुरम (म.प्र.)	जी. डी. पाल अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता होशंगाबाद	आर.बी. रघुवंशी उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद	दिनेश भालेकर उप अंकेक्षक सहकारिता होशं

T. C

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, मध्यप्रदेश

उप आयुक्त
सहकारिता नर्मदापुरम

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

Scanned with CamScanner